P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-1* April - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

पाकिस्तानी आप्रवासियों की भूमिका जैसलमेर (राजस्थान) के संदर्भ में

The Role of Pakistani Immigrants in the Context of Jaisalmer (Rajasthan)

Paper Submission: 20/04/2020, Date of Acceptance: 28/04/2020, Date of Publication:30/4/2020

कुलदीप वैष्णव
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
सोफिया कॉलेज,
अजमेर, राजस्थान, भारत

मोनिका कानन
विभागाध्यक्ष,
भूगोल विभाग,
सोफिया कॉलेज,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

यह शोध पत्र भारत–पाक विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में आये पाकिस्तानी प्रवासियों से सम्बंधित है। इस पत्र में राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी प्रवासियों का अध्ययन किया गया है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर विशेषत: अपने भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विरासत के कारण विख्यात है। जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। मरुभूमि और बालुकास्तूप इसकी प्रमुख विशेषताएँ है। इस कारण जैसलमेर पर्यटन मनचित्र में अपनी महत्वपूर्ण छवी रखता है। पर्यटन यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। वर्ष 1965 और 1971 के भारत – पाक समर ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत में प्रवास को प्रभावित किया। पाकिस्तान से निकटवर्ती सीमा पर होने के कारण राजस्थान के विशेषत: पश्चिमी सीमावर्ती भाग में इन प्रवासियों का संकेंद्रण अधिक हुआ है।

इस शोध पत्र में पाकिस्तानी आप्रवासियों का विश्लेषण किया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि क्यों ये लोग राजस्थान, पंजाब में ज्यादातर प्रवास करते है और इनके प्रवास से यहाँ के स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिवेश पर क्या प्रभाव पडा है ? जैसलमेर शहर के गफ्फूर भट्टा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामदेवरा, नाचना, सांकडा क्षेत्रों में इन पाकिस्तानी आप्रवासियों की संख्या अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति होने के कारण जैसलमेर का सामरिक महत्व भी है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जासूसी, ड्रग, स्मगलिंग जैसी अवांछनीय गतिविधियां भी देखी जा सकती है।

This research paper is related to Pakistani immigrants to India as a result of Indo-Pak partition. This paper studies Pakistani expatriates in Jaisalmer district of Rajasthan. Jaisalmer is also known as Swarna Nagri. Jaisalmer particularly is famous for its geographical and historical heritage. Most part of Jaisalmer district is desert. Desert and sandcastle are its main features. Due to this Jaisalmer tourism holds its important image in Manachitra. Tourism is the main economic activity here. The Indo-Pak summers of 1965 and 1971 affected the migration from Pakistan to India in large quantities. Being on the border with Pakistan, the concentration of these migrants has increased in particular western border of Rajasthan.

This research paper analyzes Pakistani immigrants, which shows why these people mostly migrate to Rajasthan, Punjab and how their migration has affected the local economic, social, religious environment here. The number of these Pakistani immigrants is high in Ghaffur Bhatta, Transport Nagar, Ramdevara, Nachna, Sankada areas of Jaisalmer city. Jaisalmer also has strategic importance due to its position on the international border. This is the reason why undesirable activities like espionage, drugs, smuggling can also be seen in this area.

मुख्य शब्द : शरणार्थी, आप्रवासी, धार्मिक कट्टरता, सामरिक, जनांकिकी, भू–राजनीति।
Refugees, Immigrants, Religious Fundamentalism, Strategic, Demographic, Geopolitics

प्रस्तावना

भारत–पाक विभाजन के बाद अखंड भारत विभाजित हो गया। मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान मुख्यतः मुस्लिमों की शरण स्थली बना और भारत हिन्दू–मुस्लिम–सिख सभी धर्मों की धार्मिक सहिष्णुता वाला देश रहा। यही कारण है

की सदियों से भारत में विभिन्न देशों से निरंतर प्रवास होता रहा है। पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं–सिखों को अवसर दिया गया की वे चाहे तो हिंदुस्तान भी जा सकते है और भारत में भी इसी प्रकार आजादी दी गयी कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते है वो जा सकते है। इसी वजह से जो लोग पाकिस्तान से भारत आये उन्हें अपनी अचल संपत्ति वहीं छोड़कर आना पड़ा और जो हिन्दू–सिख वहाँ रहे ये उनकी बदकिस्मती बन गयी। पाकिस्तान की कट्टरवादी नीति ने हिन्दुओं–सिखों को भारत की ओर विस्थापित होने के लिए बाध्य किया। जिहाद, इस्लाम, धार्मिक कट्टरता, असुरक्षा की भावना विस्थापन के प्रमुख कारण बने हैं। विस्थापन का यह सिलसिला आज तक भी जारी है। अनुमानतः लगभग 60 लाख हिन्दू और सिख लोग भारत आयें। विस्थापन के इसी क्रम में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान से यह आप्रवास कानूनी और गैरकानूनी तरीकें से आज भी जारी है। बिना किसी वीजा, पासपोर्ट, अनुमति, उपयुक्त दस्तावेजों के भी ये लोग आज भी भारत में आते रहे है। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार लगभग 7,76,000 सिन्धी–हिन्दू भारत में आयें। विस्थापन के पश्चात् भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में आज भी 22.8 लाख सिंधी–हिन्दू रहते हैं। यह शोध पत्र उन पाकिस्तानी शरणार्थियों की विवेचना करता है की कैसे यह लोग पाकिस्तान से भारत में भारत–पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर बसे और कैसे ये लोग इस राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक, जनांकिकी परिवेश को प्रभावित करते है।

अध्ययन क्षेत्र

शोध का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर जिला है। यह जिला भारत–पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जैसलमेर जिले का कुल 464 किलोमीटर भाग इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर रेतीली बलुई मृदा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ वनस्पति बहुत विरल है। जैसलमेर राजधानी जयपुर से 559 कि.मी. और जोधपुर से 289 कि.मी. दूर स्थित है जैसलमेर का अक्षांशीय विस्तार 26°04′ उत्तर से 28°23′ उत्तर एवं देशांतरीय विस्तार 69°20′ पूर्व से 70°42′ पूर्व है। जैसलमेर में बहुत अधिक संख्या में पाकिस्तानी आप्रवासी रहते है। जैसलमेर शहर के गफ्फूर भट्टा, ट्रांसपोर्ट नगर में एवं जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, बांकलसर, नाचना, मोहनगढ़, किशनगढ़ ,रामदेवरा आदि क्षेत्रों में पाकिस्तान से आयें हुए शरणार्थी अधिक संख्या में हैं। इंदिरा गाँधी नहर से संलग्न सीमावर्ती क्षेत्र भी सिंचाई, कृषि, जल की उपलब्धता के कारणों से शरणार्थियों के आवास का प्रमुख क्षेत्र हैं।

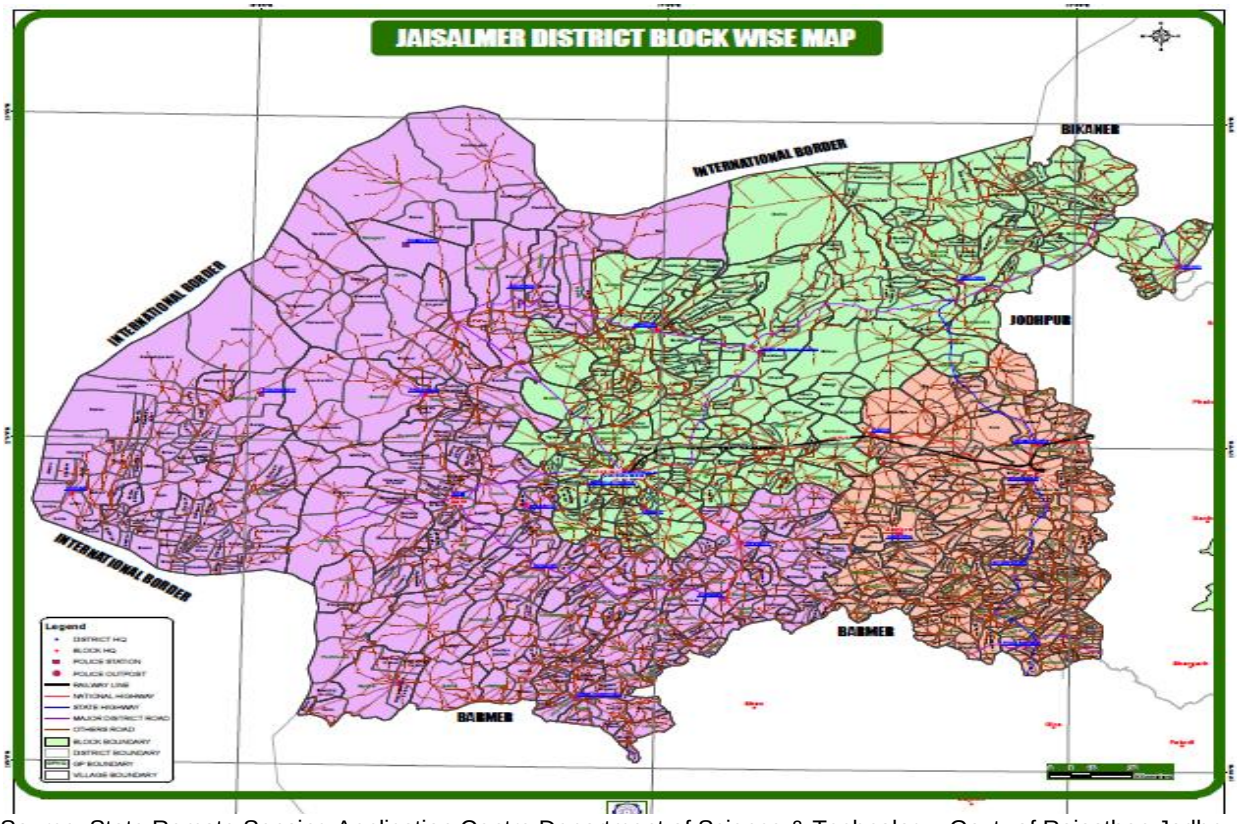

Source: State Remote Sensing Application Centre Department of Science & Technology, Govt- of Rajasthan Jodhpur

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत–पाक विभाजन के कारण एवं परिणामों का ज्ञान करना कि किन परिस्थितियों में यह विभाजन हुआ। इस विभाजन ने किस प्रकार भारत–पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित किया।
2. भारत–पाक विभाजन के परिणामों की भू–रणनीतिक विवेचना करना। इस ऐतिहासिक विभाजन ने भारत–पाकिस्तान की संपूर्ण भू–राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया । कैसे ये विभाजन आज तक भी भारत–पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद, अवैधानिक प्रवास जैसे विषयों पर सोचनीय स्थिति पैदा करता है।
3. भारत में पाकिस्तानी शरणार्थियों के आप्रवास के कारणों को ज्ञात करना। क्यों ये पाकिस्तानी नागरिक भारत में आकार शरणार्थी बनना पसंद करते है । पाकिस्तान और भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों एवं नागरिकों के लिए रहने वाली अनुकूल–प्रतिकूल दशाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
4. राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर विशेषत: जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी आप्रवासियों का अध्ययन करना। पाकिस्तानी शरणार्थियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनांकिकी, सांस्कृतिक स्वरूप का अध्ययन करना।
5. जैसलमेर के स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक, जनांकिकी, धार्मिक, आर्थिक परिवेश में प्रवासियों के प्रभाव को ज्ञात करना कि किस प्रकार ये अप्रवासी शरणार्थी स्थानीय वातावरण एवं समाज को प्रभावित करते है।
6. पाकिस्तानी शरणार्थियों का जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्लेषण करना कि इन आप्रवासियों शरणार्थियों से यहाँ के ग्रामीण परिदृश्य पर एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।
7. जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में पाकिस्तान से निरंतर हो रहे प्रवास की विवेचना एवं समाधान प्रस्तुत करना। प्रवास के मूल कारणों को ज्ञात करके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना जिससे की इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सके।

अनुसन्धान क्रियाविधि

इस शोध में शोध क्षेत्र से प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ें एकत्रित किये गए प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित कर उनका सारणीयन कर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। जैसलमेर में आए हुए पाकिस्तानी आप्रवासी के 60 परिवारों के प्रतिदर्श (Sampling) चयन से आंकड़ें एकत्रित करने पर संज्ञान में आया कि ये अधिकांश लोग भय, असुरक्षा, अशांति, सुरक्षित जीवन की कामना में भारत में आकर बसे है । जैसलमेर के बांकल्सर, नाचना, मोहनगढ़, फतेहगढ़, जैसलमेर ट्रांसपोर्ट नगर, गफ्फूर भट्टा आदि क्षेत्रों से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ें प्राप्त हुए शरणार्थियों के विषय में अधिक अधिकारिक द्वितीयक जानकारी न होने से क्षेत्रीय सर्वेक्षण साक्षात्कार, और प्रश्नावाली विधियों के माध्यम से ही आंकड़ें एकत्रित किये गए । प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से माध्य, बहुलक, सहसंबंध निकालकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया ।

तालिका संख्या 1

पाकिस्तान से भारत में अप्रवास के कारण

कारण	प्रतिशत
भय	20
अशांति	10
असुरक्षा	30
लूटमार	10
धर्मान्तरण	10
सुरक्षित जीवन की कामना	20

स्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ें

विश्लेषण तथा परिणाम

पाकिस्तान से भारत में अधिक मात्रा में पाकिस्तानी हिन्दू–सिख अल्पसंख्यक लोगों का प्रवास असुरक्षा की भावना और भय के कारण होता है और एक सुरक्षित जीवन की कामना में ये लोग भारत में आकर शरणार्थी बन जाते है। शोध में यह तथ्य संज्ञान में आया कि पाकिस्तानी हिन्दू अल्पसंख्यक लोग भारत में धार्मिक वीजा पर या अन्य किसी कारण से अनुमति लेकर या गैर कानूनी तरीकों से भारत आ तो जाते है पर ये लोग पुनः पाकिस्तान के उस भय और असुरक्षा के माहौल में नहीं जाना चाहते और एक बड़ी संख्या में ये लोग राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में आकार बस जाते है। शोध के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ कि पाकिस्तान से अधिकांशतः सिन्धी–हिन्दू और भील जाति के लोग ही अधिक प्रवास करते है। इन पाकिस्तानी आप्रवासियों से मिलने पर पता लगा कि ये लोग अपनी चल–अचल संपत्ति छोड़कर भारत में आ बसे है। ये हिन्दू अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तान में अपनी संपत्ति किसी को बेच नहीं सकते। इन लोगों के साथ वहाँ भेदभाव पूर्ण और अन्यायपूर्ण नीति अपनाई जाती है। इन हिन्दू अल्पसंख्यक लोगों का वहाँ धर्मान्तरण कर दिया जाता है। आंकड़ें एकत्रित करने के दौरान जैसलमेर के गफ्फूरभट्टा में रहने वाले इन आप्रवासी लोगों ने अपने दो–दो नाम बताये और कहा कि पाकिस्तान में जबरन धर्मान्तरण होने के कारण इन लोगों के एक हिन्दू और एक इस्लामिक नाम भी है। पाकिस्तान में रहने के लिए इन लोगों को अपने नाम, धर्म के साथ भी समझौता करना पड़ता है, इन सबसे बचने के लिए ये लोग भारत को एक सुरक्षित स्थान मानते है और प्रयासरत रहते है कि कैसे भी इन लोगों को भारत में आने का मौका मिल जाये।

जैसलमेर में कई सालों से निवास करने के बाद भी इन पाकिस्तानी आप्रवासियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नागरिकता प्राप्त करना सबसे बडी चुनौती है।

तालिका संख्या 2

वर्ष	पाक विस्थापितों की संख्या
1965–1970	10000
1971–1991	90000
1992–2011	20000
2012–2020	10000

रेखाचित्र संख्या 1

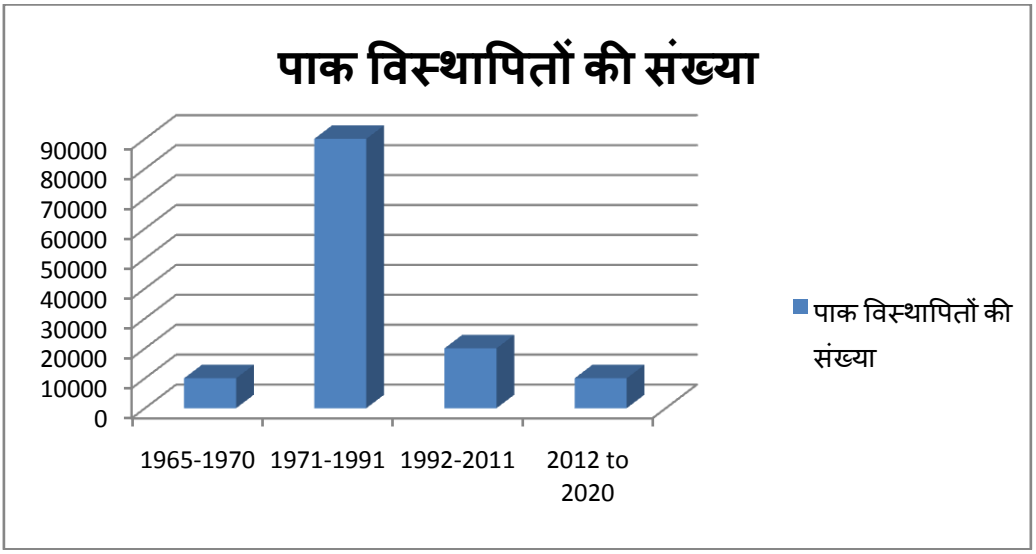

स्रोत– रिपोर्ट ऑफ सीमांत लोक संगठन/ उजास (युनिवरसल जस्ट एक्शन सोसाईटी)

सुझाव

"पाकिस्तानी आप्रवासियों की भूमिका जैसलमेर (राजस्थान) के संदर्भ में" विषय पर गहन शोध कार्य करने के पश्चात् निश्चित रूप से कुछ समाधान प्रस्तुत किये जा सकते है जिससे कि भारत में इस पाकिस्तानी अप्रवासियों, शरणार्थी रूपी विकराल समस्या का निराकरण किया जा सके। उपर्युक्त विषय एवं समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है–

1. पाकिस्तानी शरणार्थियों के भारत में आप्रवास के कारणों के विषय में शोध करने के बाद पाकिस्तानी शरणार्थियों के आप्रवास के मुख्य कारण असुरक्षा, भय, सुरक्षित जीवन की कामना, धर्मान्तरण इत्यादि है, अत: पाकिस्तानी शरणार्थियों के आप्रवास की समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) में आवाज उठानी चाहिये।
2. भारत सरकार को पाकिस्तानी सरकार के साथ मिलकर शरणार्थियों, आप्रवासियों के विषय में एक कठोर एवं स्पष्ट नीति बनानी चाहिये, जिससे कि इस समस्या पर अंकुश लगे।
3. पाकिस्तानी शरणार्थियों के निवास के लिए भारत में कुछ निश्चित क्षेत्र ही निर्धारित करने चाहिये, जिससे कि ये लोग भारत में कहीं भी अवैधानिक तरीकें से निवास न करे। इस प्रकार कहीं भी निवास करने से इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना असंभव है।
4. भारत सरकार के गृह मंत्रालय को वर्षों से भारत में निवास कर रहे इन पाकिस्तानी शरणार्थियों के विषय में स्पष्ट नीति रखनी चाहिये। इन शरणार्थियों, आप्रवासियों लोगों के लिये भारतीय नागरिकता के संदर्भ में भी व्यवहारिक एवं पारदर्शी नीति का निर्माण करना चाहिये। इस विषय में हाल ही में भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून नीति (CCA & The Citizenship amendment Act, 2019) भी उल्लेखनीय है।

निष्कर्ष

इस शोध से यह ज्ञात होता है कि भारत–पाक विभाजन ने दो मुल्कों को ही नहीं बल्कि दो धार्मिक समुदायों को विभाजित कर दिया। भारत–पाक विभाजन के दंश को दोनों देशों के कई बेकसूर लोगों ने भुगता । कहने के लिए ये आज दो अलग अलग देश है पर वास्तविकता में एक ही अखंड देश के दो अलग अलग भाग है जो नफरत, साम्प्रदायिकता, धर्म, जिहाद, आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके है। भारत–पाक विभाजन के बाद आज तक भी पाकिस्तान से भारत के पश्चिमी सीमावर्ती भागों में पाकिस्तानी प्रवासियों का आगमन निरन्तर जारी है। शरणार्थियों की समस्या को दोनों देशों की सरकारों को सुलझाना चाहिए। शरणार्थियों के निरंतर हो रहे आप्रवास से वस्तुत: सत्य है कि किसी भी देश या स्थान के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनांकिकी, राजनितिक परिवेश पर प्रभाव पड़ता है। भारत में यदि इसी प्रकार पाकिस्तान से भारत के पश्चिमी सीमावर्ती भागों में निरंतर प्रवास होता रहा तो इस देश की जनसंख्या अविरल गति से बढ़ेगी, अत: इस पर अंकुश जरुरी है। शरणार्थियों की समस्या न केवल भारत अपितु विश्व के कई सारे देशों जैसे फ्रांस, इजराइल, सीरिया, यू. के., जर्मनी, तुर्की इत्यादि देशों के लिए चुनौती बन चुकी है। अत: निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि जनसंख्या में किसी भी अन्य देश से शरणार्थियों का अवैधानिक अप्रवास एक गंभीर समस्या है जिसे समय रहते सुलझाना अति आवश्यक है ।

"मिटा ली है हमने पृथ्वी से चाँद की दूरी,
पर मिटा न सके हम इन्सान से इन्सान की दूरी।।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *खंडेलवाल, माथुर, गुप्ता : शोध पद्दति में सांख्यिकी पद्दतियाँ*

2. *गुप्ता एस.के.,बाकू ए.के : रूरल टू रूरल माईग्रेशन इन पंजाब*
3. *गोसल जी.एस. : इन्टरनल माईग्रेशन इन इंडिया :, रीजनल एनालिसिस.*
4. *बागची जे.,बेतल एच.आर. : पश्चिम बंगाल : जनसंख्या और प्रवास*
5. *बोस ए. : "माईग्रेशन इन इंडिया : ट्रेंडस एंड पॉलिसीस"*
6. *प्रेमी एम.के. : "माईग्रेशन टू सिटीजन इन इंडिया''*
7. *मुनि एस.डी,लोकराज बराल : "रिफ्यूजी एंड रीजनल सिक्यूरिटी इन साऊथ एशिया''*
8. *मेहता एस. : "माईग्रेशन ट्रेन्ड्स इन द बिस्त दो आब ए स्पेशल पर्सपेक्टिव,चंडीगढ़ ,पंजाब यूनिवर्सिटी''*
9. *सुथार अशोक, हिन्दु सिंह सोढा : फेंस बियॉन्ड फेंसिंग (डाएलेमा ऑफ पाक माइनोरिटी माईग्रेन्ट इन इंडिया वर्सेस रेजीम ऑफ राइट्स)*
10. *प्रोफेसर अंजुम जेम्स पॉल : कॉन्सटीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड माईनोरिटिस*
11. *नायक प्रफुल्ल कुमार प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी ह्यूमनटेरियन क्राईसिस इन इंडिया*
12. *नागर कैलाश नाथ सांख्यिकी के मूल तत्त्व*
13. *नायर अर्जुन नेशनल रिफ्यूजी लॉ फॉर इंडिया : बेनेफिटस एंड रोडब्लोक*
14. *नेपा जानी : आर्टीकल 21 ऑफ कॉन्सटीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड राइट्स टू लाइवलीहुड*
15. *रिपोर्ट ऑफ सीमांत लोक संगठन उजास (यूनिवर्सल जस्ट एक्शन सोसाईटी)*
16. *रिपोर्ट ऑफ रिफ्यूजी पोपुलेशन इन इंडिया : नवम्बर,2007*
17. *रॉय संजय कुमार : रिफ्यूजी एन्ड ह्यूमन राइट्स*
18. *वर्तक एस.और बनर्जी एस. :माईग्रेन्ट्स इन क्लास। टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र*
19. *सौमित्र मोहन : इंडिया : UNHCR एंड रिफ्यूजीस : एन एनालिटिकल स्टडी*
20. *शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश : रिसर्च मैथ्ड़ोलॉजी*
21. *श्रीवास्तव एस.सी. : "माईग्रेशन इन इंडिया,पेपर 2*
22. *त्रिवेदी आर.एन. : रिसर्च मैथ्ड़ोलॉजी (221–292)*